RAJYA SABHA

Friday, The 29th April, 2005/9 Vaisakha 1927 (Saka)

The House met at Eleven of the clock,

Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे का जोनल कार्यालय

*501. डा॰ प्रभा ठाकुर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: कि

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जोनल कार्यालय के लिए 1982 में प्रस्तुत की गई बेरी समिति की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर को सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अजमेर में जोनल कार्यालय के लिए भूमि और न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जबकि जयपुर में भूमि एवं भवन निर्माण में लगभग 300 करोड़ की राशि के व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या इतनी बड़ी राशि का अपव्यय रोकने के लिए सरकार अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ वेल्लू): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है

विवरण

अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोनल कार्यालय

(क) जी, हां।

(ख) किसी क्षेत्रीय मुख्यालय के लिए स्थान का निर्धारण करने के लिए केवल भूमि की उपलब्धता और अन्य अवसंरचना ही एकमात्र मानदंड नहीं होता। किसी क्षेत्रीय मुख्यालय के स्थान का निर्धारण करते समय किफायत एवं कार्यकुशलता की जरूरतों के अनुरूप परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर आकार, कार्यभार, सुगम्यता और यातायात के स्वरूप आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, जयपुर में नए क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भूमि और भवन निर्माण की अनुमानित लागत केवल 87.00 करोड़ रुपए है न कि 300 करोड़ रुपए।

(ग) जी, नहीं। मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए जयपुर को निर्धारित शर्तों को पूरा करने की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है।

Zonal office of North Western Railway at Ajmer

†*501. DR. PRABHA THAKUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Ajmer has been considered the best suitable place for the zonal office of North Western Railway as per the Beri Committee report submitted in 1982;

(b) whether Government are also aware of the fact that enough land and space is available in Ajmer for zonal office while an expenditure of about Rs. 300 crores is likely to be incurred on the development of land and construction of building in Jaipur;

(c) whether Government are reconsidering its earlier decision to avoid such extravagance;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI. R. VELU):(a) to (e) A statement is laid on the Table of the Sabha.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

Zonal Office of North Western Railway at Ajmer

(a) Yes, Sir.

(b) Mere availability of land and other infrastructure is not the sole criteria for locating a Zonal Headquarters.Factors like size, workload, accessibility and traffic patterns on the basis of operational and administrative requirements consistent with the needs of the economy and efficiency are taken into account while deciding the location of zonal headquarters. Moreover, the estimated cost of land and construction of building for new Zonal Office at Jaipur is Rs. 87.00 crore only and not Rs. 300 crore.

(c) No, Sir. The present arrangement is working satisfactorily.

(d) Does not arise.

(e) Jaipur has been considered as the most favourable place for Zonal Office of North Western Railway fulfilling the prescribed criteria.

डा॰ प्रभा ठाकुर: माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न का जो उत्तर आया है उससे मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि उत्तर में अपने आप में ही विरोधाभास है।

श्री सभापति: होना भी नहीं चाहिए, जब तक यह काम न हो।

डा॰ प्रभा ठाकुर: जी हां। महोदय, उत्तर में अपने आप में विरोधाभास है क्योंकि भाग ''क'' में मैंने पूछा है कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जोनल कार्यालय के लिए 1992 में प्रस्तुत की गई बेरी समिति की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, तो सरकार इसका उत्तर ''जी हां'' में देती है, लेकिन भाग ''ख'' के उत्तर में, साथ ही यह भी कहती है कि ''केवल भूमि की उपलब्धता और अन्य अवसंरचना ही एकमात्र मानदंड नहीं होता। किसी क्षेत्रीय मुख्यालय के स्थान का निर्धारण करते समय किफायत एवं कार्यकुशलता की जरूरतों के अनुरूप परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर आकार, कार्यभार, सुगम्यता और यातायात के स्वरूप आदि जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है।'' तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि बेरी समिति की जो रिपोर्ट दी गई कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जोनल कार्यालय अजमेर में होना चाहिए, क्या उस रिपोर्ट में समिति ने इन तमाम बातों को ध्यान में नहीं रखा? क्या समिति द्वारा इन बातों को ध्यान में रखे बिना रिपोर्ट दी गई थी, कृपया मुझे बताएं।

SHRI R. VELU: Sir, the hon. Member has raised a very valid question. Actually, it is not the Beri Committee, it is the Beri Working Group under the Railway Reforms Committee, which has gone into the question of reorganisation of the Zones. This has got a historical background. In the independent India, we had about 42 Government-owned and company-owned companies which have been converted into six Railway Zones. Subsequently, three more Zones have been added into it, making them nine. By 1966, nine Zones were in existence. The Beri Working Group, headed by the ex-Chairman of the Railway Board has gone into the question. There is no denying the fact that Ajmer was the hub of meter-gague activities. It was a trunk route. There is a Meter-gauge Workshop and land is also available there, as the hon. Member has mentioned. But later on, when the broad-gauge conversion took place, the sharp focus was onthe accessibility, administrative and operational reasons. That being the reason, Jaipur was considered to be the most centrally located place. Accessibility is easier there as it is the State Capital. Jaipur has more industrial houses in terms of business and High Court is also located there. Keeping all these factors in mind, instead of Ajmer, Jaipur was preferred to. We are not denying whatever the Beri Committee had said. But, subsequently, the Advisory Committee which had gone into it in greater detail, found Jaipur more suitable.

डा॰ प्रभा ठाकुर: सभापति जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना कि मीटरगेज के समय में अजमेर वह स्थान था, जो कि सर्वाधिक रेल सुविधाओं का केंद्र था, लेकिन आज स्थिति यह है कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हुए भी, जहां विश्व प्रसिद्ध दरगाह शरीफ है, जहां तीर्थराज पुष्कर है, जहां लाखों यात्री हर वर्ष आते हैं, जिसके लिए अनेक बार रेलों की मांग भी की गई, वह देना तो दूर रहा, कई वर्षों से न तो कोई नई रेल दी गई है, मेरी बार-बार मांग और व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह करने के बावजूद, इन तीर्थ यात्रियों के मद्देनजर न नई रेल दी गई है, रेलों का चक्कर बढ़ाया गया है और आपने जैसे खुद अभी कहा, तो मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि बेरी समिति ने जब यह रिपोर्ट दी होगी, तो मीटरगेज और ब्रॉडगेज की तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही दी होगी।

जयपुर राजधानी है, जयपुर में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। वहां हाई कोर्ट है, युनिवर्सिटी है और अब ऐम्स भी खुल रहा है। कहीं कुछ डी-सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। अजमेर जयपुर से दूर नहीं है। यह राजस्थान के मध्य में स्थित है, इसीलिए शायद मीटरगेज के समय में अजमेर के समय में अजमेर को सबसे अधिक रेलों की दृष्टि से महत्वूर्ण मानते हुए, चुना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से

अनुरोध करूंगी कि आपने जो यह कहा है तो आप अपने निर्णय पर पुन:विचार करें। इसके लिए अजमेर ही सर्वाधिक उपयुक्त है। दूसरी बात यह है कि जो आपका उत्तर आया है कि मौजुदा व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है, तो मेरा प्रश्न यह है कि अजमेर में पर्याप्त मात्रा में भवन और भूमि उपलब्ध है और वहां पूरा इन्फ्रास्टक्चर है, वहां कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, आफिस कार्यालय के लिए पूरी जगह है, बिल्डिंग है और जयपुर से भी बड़ा रेलवे अस्पताल है, तो फिर क्यों उसको उपयुक्त नहीं माना जा रहा है? यह जो मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस कार्य के लिए क्या राजस्थान सरकार की ओर से जो जमीन दी गई है, क्या वह रेलवे के पोजेशन में आ गई है? क्या उस जमीन के मामले को लेकर लोग कोर्ट में नहीं चले गए हैं, क्या उस जमीन पर कोर्ट से स्टे नहीं मिल गया है? क्या आप उस जमीन पर आगे कुछ निर्माण कर पाएंगे? कृपया मुझे बताएं कि क्या वह जो जमीन है, वह रेलवे के पोजेशन में है, उस पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है?

SHRI R. VELU: Sir, we have already taken over 52,000 square meters of land in Jhalawar Circle from the State Government. They are willing to hand over some more land for the staff colony. The hon. Member was mentioning that although Ajmer was an important religious city, not much of railway facilities were there. We will get it examined to see as to how best we can improve the situation with more trains, etc. But, then, the land is available. The State Government has given the land to us. But, Sir, land alone is not the criterion. There are many other aspects in the criterian which are laid down for this purpose, for example, the size, the work load, the accessibility, the operational reasons, etc. that have to be gone into.

डा॰ प्रभा ठाकुर: तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: हां ठीक है, श्री आर॰पी॰ गोयनका। ... (व्यवधान)...आप बोलिए। ... (व्यवधान)...

डा॰ प्रभा ठाकुर: जब वह जगह पोजेशन में ही नहीं है तो किस तरह से निर्माण होगा? दो सौ करोड़ की रेलवे की बचत होगी। इसे आप अजमेर, जयपुर या कहीं और लगाने की कृपा करें और इस पर पुन: विचार करने की कृपा करें।

श्री सभापति: इनको बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)... ये भी राजस्थान से आए हैं। ... (व्यवधान)...

SHRI R. VELU: No, Sir. I have said that we have taken land from the State Government. The hon. Member is again and again talking about

land. Land is just one of the components and that is one aspect. Whether the kind of situation that we are placed in is advantageous or not is to be considered. But land is laready in possession. The State Government has willingly given 52,000 square meters of land.

डा॰ प्रभा ठाकुर: लोग कोर्ट में चले गए हैं, उस जमीन पर स्टे मिल गया ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: बस अब आपका हो गया है। ... (व्यवधान)... वे कोर्ट में चले गए हैं, Let the Government look into it.

डा॰ प्रभा ठाकुर: पता नहीं कितना समय लगेगा। उस जमीन को बेचेंगे तो सरकार का तिगुनी राशि मिल जाएगी और उसका सदुपयोग और कहीं और हो सकेगा।

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए। ... (व्यवधान)... वह ठीक है। आपने बहुत अच्छी पैरवी कर ली है। श्री आर॰ पी॰ गोयनका।...

श्री आर॰ पी॰ गोयनका: सर, आपके माध्यम से मैं, मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो गलती कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और दिल्ली में हुई है कि सब चीजें उन्हीं चार शहरों में स्थापित हो कईं, तो जयपुर में यह सब करने से, आप क्या वह गलती नहीं दोहरा रहे हैं? अजमेर की बात आई है , आप और किसी जगह करिए, लेकिन जयपुर में करने से टू मच सैन्ट्रलाइजेशन हो जाएगा। इस पर आपने क्या कोई विचार किया है?

SHRI R. VELU: Sir, Now, what is the idea behind the location of the Zone? The idea is to serve the people better, more importantly the staff, the contractors, the workmen and such other people who have to reach that location everyday. So, we always make it at a central place so that accessibility is easier. There are other factors like workload, operational reasons, administrative reasons, etc. From the point of view, Jaipur is more conenient than Ajmer. Of course, if you want more train facilities, train services at Ajmer, we can consider it. But on that score, we need not relocate it again at Ajmer.

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति जी, रेलवे का स्टेशन बदलने से राजस्थान के अन्दर कई स्टेशन ऐसे है, जैसे गंगापुर सिटी, बांदीकुई आदि? जहां पर रेलवे की जमीन ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप वह सब मत कहिए, सीधे जयपुर और अजमेर के बीच में आ जाइए।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति जी, मैं बात करते हुए आ रहा हूं। गंगापुर और बांदीकुई में भवन और जमीन खाली हैं। इसी प्रकार से सिस्टम बदलने के बाद अजमेर में भवन और जमीन खाली हुई

है? लेकिन जयपुर के अंदर जो जोन बनाया गया है, वह जयपुर राजधानी होने के कारण बनाया गया हैं यह एक अच्छी बात हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा भी राजस्थान का एक हिस्सा है। कोटा डिवीजन को आपने जबलपुर में डाल दिया है, जबकि उनको जयपुर नजदीक पड़ता है, जयपुर में सारी सुविधाएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसको वापस जयपुर में रखेंगे।

SHRI R. VELU: Sir, the hon. Member has raised a new point. We will examine its feasibility, and the hon. Member would be communicated about it.

502. [The questioners (Shri Ravi Shankar Prasad and Dr. Murli Manohar Joshi) were absent for answer *vide* page 31 *infra*].

503. [The questioner (Shri V. Narayansamy) was absent for answer *vide* page 33 *infra*].

Horseshoe Crab

*504. SHRIMATI SYEDA ANWARA TAIMUR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any measure to resume research on 'Horseshoe crab' and to include it is Schedule IV of the Wildlife (Protection) Act as the horseshoe crab could help cure diseases like osteoporsis and cardio vascular ailments; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI A.RAJA): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) The Zoological Survey of India, under the Ministry of Environment and Forests, has been regulalry carrying out research work on 'Hoseshoe crab' The research mainly relates to occurrence, abundance, seasonal variations, food and feeding habits and spawning behaviour of one species called Carcinoscorpious rotundicauda and occurrence and abundance of other available species of the country *i.e.* Tachypleus gigus.

The National Board for Wildlife in its second meeting held on 17.03.2005 has decided to constitute a Standing Committee on animals for certain tasks which include norms for inclusion of any entry in the schedules of